

न्यायालय तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 51/2024 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल

बनाम

गैर सायल

राजस्थान राज्य

श्री हेमसिंह पुत्र चुतरसिंह

जरिये पटवारी हल्का हाथीसिंह का गांव।

कौम राजपूत निवासी हाथीसिंह का गांव।

“निर्णय”

दिनांक:- 08.11.2024

पत्रावली आज बमुकाम शिव में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का हाथीसिंह का गांव ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा मतुजा के खसरा नं. 111 रकबा 5.4632 हैक्टैयर में से 08.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.96 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 48.00 पूर्णांक में 48.00 अक्षरे अड़तालीस रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत्त शिव को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल नीलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आ.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 08.11.2024 को सरेआम सुनाया गया



तहसीलदार शिव
तहसीलदार शिव
जिला-बाड़मेर